28/6/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया।

संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा डूंगला के खाता संख्या 77 में वर्णित आराजी किता 18 रकबा 5.480 हे भूमि प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी की होकर इनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसके कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है। इसलिए उपरोक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण जेर बहस आराजी के खातेदार है। तथा इन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 1113 पर राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन होने से इसके अलावा शेष आराजी की पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार डूंगला को 3000/ रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में खलल दिये मौजा डूंगला पटवार मण्डल डूंगला के खाता संख्या 77 में वर्णित आराजी नं. 1113 के अलावा पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक 18/10/19 तक न्यायालय हाजा में पेश करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला